ए.

के. सी. लक्समाना बनाम

के. सी. चंद्रप्पा गौड़ा और ए. एन. आर. (2010 की सिविल अपील संख्या 2582) अप्रैल 19,2022

बी.

[एस**.** अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

सीमा अधिनियम, 1963:अनुच्छेद 58 और 109-वादी ने अपने पिता द्वारा बनाई गई संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के हिस्से के अलगाव को चुनौती दी-पहला प्रतिवादी, Ex.P-1 के तहत, दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में-अनुच्छेद 58 पर भरोसा करने वाले प्रतिवादियों ने याचिका दायर की कि मुकदमा समय से वर्जित था-आयोजित:मुकदमे के पक्षकार हिंदू हैं और वे मितकाशर कानून द्वारा शासित होते हैं-अनुच्छेद 58 किसी अन्य घोषणा को प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा की अवधि प्रदान करता है-यह घोषणा के लिए उन सभी मुकदमों को नियंत्रित करने वाला एक अवशिष्ट लेख है जो विशेष रूप से सीमा अधिनियम के किसी अन्य अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित नहीं हैं-अनुच्छेद 109 लागू करने के लिए विशेष लेख है जहां पिता के अलगाव को बेटे द्वारा चुनौती दी जाती है और संपत्ति पैतृक है और पक्ष मिताक्षर कानून द्वारा शासित होते हैं-आम तौर पर, जहां एक क़ानून में सामान्य प्रावधान के साथ-साथ विशिष्ट प्रावधान दोनों होते हैं, बाद वाले को प्रबल होना चाहिए-इसलिए, अनुच्छेद 58 का तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं है-अनुच्छेद 109 में 'अलगाव' शब्द में 'उपहार' शामिल है-अनुच्छेद 109 को आकर्षित करने के लिए, शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।(1) पक्षकारों को मिताक्षर द्वारा शासित हिंदू होना चाहिए; (2) मुकदमा बेटे के कहने पर पिता द्वारा अलगाव को दरकिनार करने के लिए है; (3) संपत्ति पैतृक संपत्ति से संबंधित है; और (4) विदेशी ने पिता द्वारा अलगाव की गई संपत्ति का कब्जा ले लिया है-यह अनुच्छेद प्रदान करता है कि सीमा की अवधि उस तारीख से बारह साल है जब विदेशी संपत्ति का कब्जा लेता है-तत्काल मामले में, Ex.P-1 को वादी के पिता द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में 02.03.1980 पर निष्पादित किया गया था और दूसरे प्रतिवादी ने 22.03.1980 पर संपत्ति का कब्जा ले लिया था जब Ex. P-1 पंजीकृत किया गया था-22.03.1980 से बारह साल की अवधि को गिनते हुए, दाखिल करने की सीमा

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

40

41

के. सी. लक्ष्मण बनाम के. सी. चंद्रप्पा गौड़ा और ए. एन. आर.

ए.

हिंदू कानूनःसंयुक्त परिवार की संपत्ति के हिस्से का अलगाव पिता द्वारा, जो संयुक्त परिवार का कर्ता था, एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो न तो सह-भागीदार था और न ही परिवार का सदस्य।

– घोषणा के लिए वाद कि पिता-प्रथम प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित उपहार/निपटान विलेख अमान्य था-वादी उक्त दस्तावेज का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था और उसने शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में अनुसूचित संपत्ति को उपहार में देने के लिए सहमति नहीं दी थी।

बी.

– आयोजित किया गयाःयह सामान्य कानून है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का कर्ता/प्रबंधक संयुक्त परिवार की संपत्ति को केवल तीन स्थितियों में अलग कर सकता है, अर्थात् (i) कानूनी आवश्यकता (ii) संपत्ति के लाभ के लिए और (iii) परिवार के सभी सह-भागीदारों की सहमति से-जहां सभी सह-भागीदारों की सहमति से अलगाव नहीं किया जाता है, तो यह सह-भागीदारों के कहने पर अमान्य है जिनकी सहमति प्राप्त नहीं की गई है-इसलिए, दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में संयुक्त परिवार की संपत्ति का अलगाव वादी के कहने पर अमान्य था, जिसकी सहमति उक्त अलगाव से पहले सह-भागीदार के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी-दूसरे प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि निपटान विलेख

सी.

डी.

ई.

– एक हिंदू पिता या एच. यू. एफ. के किसी अन्य प्रबंध सदस्य को केवल 'पवित्र उद्देश्य' के लिए पैतृक संपत्ति का उपहार देने की शक्ति है और जिसे 'पवित्र उद्देश्य' शब्द से समझा जाता है, वह

धर्मार्थ और/या धार्मिक उद्देश्य के लिए एक उपहार है-इसलिए, 'प्रेम और स्नेह से' निष्पादित पैतृक संपत्ति के संबंध में उपहार का विलेख 'पवित्र उद्देश्य' शब्द के दायरे में नहीं आता है-यह अप्रासंगिक है यदि ऐसा उपहार या समझौता एक दाता द्वारा किया गया था, यानी पहला प्रतिवादी, एक दाता के पक्ष में, जिसे दाता द्वारा बिना किसी संबंध के उठाया गया था, यानी दूसरा प्रतिवादी-दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में पहले प्रतिवादी अवर न्यायालयों विलेख/उपहार विलेख सही था।

एफ.

जी.

एच.

42 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

ए.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा**,**

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** सीमा अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद **58** में किसी अन्य घोषणा को प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि का प्रावधान है।इस अनुच्छेद के तहत सीमा की अवधि उस तारीख से तीन साल है जब मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होता है।यह एक अवशिष्ट लेख है जो घोषणा के लिए उन सभी मुकदमों को नियंत्रित करता है जो विशेष रूप से सीमा अधिनियम के किसी अन्य अनुच्छेद द्वारा शासित नहीं हैं। अनुच्छेद **109** विशेष अनुच्छेद है जिसे लागू करने के लिए पुत्र द्वारा पिता के अलगाव को चुनौती दी जाती है और संपत्ति पैतृक है और पक्षकार मिताक्षर कानून द्वारा शासित होते हैं। आम तौर पर**,** जहां एक क़ानून में सामान्य प्रावधान के साथ**-**साथ विशिष्ट प्रावधान दोनों होते हैं**,** तो बाद वाले को प्रबल होना चाहिए।इसलिए**,** अनुच्छेद **58** तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है।**[**पैरा **8] [46-**ई**-**एफ**]**

बी.

सी.

1.2 अनुच्छेद **109** में 'अलगाव' शब्द में 'उपहार' शामिल है।अनुच्छेद **109** को आकर्षित करने के लिए**,** निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा**,** अर्थात्**, (1)** पक्षकारों को मिताक्षर द्वारा शासित हिंदू होना चाहिए**; (2)** मुकदमा बेटे के कहने पर पिता द्वारा अलगाव को अलग करने के लिए है**; (3)** संपत्ति पैतृक संपत्ति से संबंधित है**;** और **(4)** विदेशी ने पिता द्वारा अलगाव की गई संपत्ति का कब्जा ले लिया है।इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सीमा की अवधि उस तारीख से बारह वर्ष है जब विदेशी संपत्ति का कब्जा लेता है।**[**पैरा **9] [46-**एच**; 47-**ए**]**

डी.

ई.

1.3 तत्काल मामले में**, Ex.P-1** को वादी के पिता द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में **02.03.1980** पर निष्पादित किया गया था और दूसरे प्रतिवादी ने **22.03.1980** पर संपत्ति का कब्जा ले लिया है जब **Ex.P-1** पंजीकृत किया गया था।**22.03.1980** से बारह वर्ष की अवधि की गणना करते हुए**,** वर्तमान मामले में मुकदमा दायर करने की सीमा **21.03.1992** पर समाप्त हो गई होगी।मुकदमा **11.10.1991** पर दायर किया गया था। इसलिए**,** मुकदमे को समय से प्रतिबंधित नहीं किया गया था।**[**पैरा **10] [47-**बी**-**सी**]**

एफ.

2.1 दूसरे प्रतिवादी ने निचली विचारण न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान को अपनाया है जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि अनुसूचित संपत्ति एचयूएफ से संबंधित एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी जिसमें वादी**,** उसके पिता और उसके भाई शामिल थे**,** जिनमें से तीनों एचयूएफ में सह**-**भागीदार थे। द ए**.**

जी.

एच.

दूसरा प्रतिवादी सह**-**भागीदार या इस परिवार का सदस्य नहीं है।यह भी स्वीकार किया गया कि अनुसूची संपत्ति उसे पहले प्रतिवादी द्वारा निपटान/उपहार विलेख **(Ex.P-1)** द्वारा उपहार में दी गई थी जो **HUF** का कर्ता था। वादी उक्त दस्तावेज़ का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था।वास्तव में**,** वादी ने वाद में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने उक्त विलेख के अनुसार दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में अनुसूचित संपत्ति को उपहार में देने के लिए सहमति नहीं दी थी।**[**पैरा **11] [47-**डी**-**एफ**]**

बी.

2.2 यह सामान्य कानून है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का कर्ता/प्रबंधक केवल तीन स्थितियों में संयुक्त परिवार की संपत्ति को अलग कर सकता है**,** अर्थात् **(i)** कानूनी आवश्यकता **(ii)** संपत्ति के लाभ के लिए और **(iii)** परिवार के सभी सह**-**भागीदारों की सहमति से।तत्काल मामले में**, Ex.P-1** के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति का अलगाव सभी सह**-**भागीदारों की सहमति से नहीं था।यह तय कानून है कि जहां सभी सह**-**पक्षकारों की सहमति से अलगाव नहीं किया जाता है**,** तो यह सह**-**पक्षकारों के कहने पर अमान्य है**,** जिनकी सहमति प्राप्त नहीं की गई है**,** इसलिए**,** दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का

अलगाव वादी के कहने पर अमान्य था, जिसकी सहमति उक्त अलगाव से पहले सह-पक्षकार के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी।[पैरा **12] [47-**एफ-एच**; 48-**ए**]**

सी.

डी.

2.3 तत्काल मामले में, दूसरे प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि निपटान विलेख **(Ex.P-1),** वास्तव में, एक उपहार विलेख है जिसे पहले प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में 'प्यार और स्नेह से' निष्पादित किया गया था और जिसके आधार पर दूसरे प्रतिवादी को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा दिया गया था।यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक हिंदू पिता या एचयूएफ के किसी अन्य प्रबंध सदस्य के पास केवल एक 'पवित्र उद्देश्य' के लिए पैतृक संपत्ति का उपहार देने की शक्ति है और जिसे 'पवित्र उद्देश्य' शब्द से समझा जाता है वह धर्मार्थ और/या धार्मिक उद्देश्य के लिए एक उपहार है।इसलिए, 'प्रेम और स्नेह से' निष्पादित पैतृक संपत्ति के संबंध में उपहार का विलेख 'पवित्र उद्देश्य' शब्द के दायरे में नहीं आता है।यह अप्रासंगिक है यदि ऐसा उपहार या समझौता एक दाता द्वारा किया गया था, यानी पहला प्रतिवादी, एक दाता के पक्ष में जिसे दाता द्वारा बिना किसी संबंध के उठाया गया था, यानी दूसरा प्रतिवादी।तत्काल मामले में उपहार विलेख किसी धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं है।निपटान विलेख/उपहार

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

पहले प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित विलेख **(Ex.P-1)** को पहले अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया था।[पारस **13,16] [48-**बी-डी**; 50-**बी**]**

थिमैया और ओरस**.** वी**.**निंगम्मा और अन्र। **(2000) 7**

एससीसी409:[2000] 2 पूरक।एस. सी. आर. 653; गुरम्मा भतरार

बी.

चानबसप्पा देशमुख और ओ. आर. एस. बनाममल्लप्पा

चनबसप्पा और अन्र। एयर 1964 एससी 510:[1964] 4

एससीआर **497;** अम्मथायी @पेरुमालक्कल और अन्र**.** वी**.**कुमारेसन @बालकृष्णन और अन्य। ए**.** आई**.** आर **1967** एस**.** सी

569 :[1967] 1 एस**.** सी**.** आर**. 353-**पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

सी.

[2000] 2 पूरक।एससीआर **653** पर भरोसा किया गया

पैरा **12**

[1964] 4 एससीआर **497**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **14**

[1967] 1 एससीआर **353**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **15**

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2010 की सिविल अपील No.2582।

2003 के आर. एस. ए. <आई. डी. 2 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

ई.

मेसर्स नुली एंड नुली के लिए आनंद संजय एम. नुली, सूरज कौशिक, आगम शर्मा, धरम सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

अरविंद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, संदीप कालिया, सुश्री रीना राव, डॉ. सुशील बलवाड़ा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.**

1.विशेष अनुमति द्वारा यह अपील 2003 की नियमित दूसरी अपील No.372 दिनांक 03.10.2008 में निर्णय और डिक्री के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत बैंगलोर में कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है।

जी.

2. के. सी. चंद्रप्पा गौड़ा ने अपने <आई. डी. 2. चिन्ने गौड़ा और एक के. सी. लक्ष्मण के खिलाफ विभाजन और वाद-अनुसूची संपत्ति में अपने एक तिहाई हिस्से के अलग कब्जे के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि उपहार/निपटान विलेख दिनांकित 22.03.1980 (पूर्व। पी-1)

एच.

45

के. सी. लक्ष्मण बनाम के. सी. चंद्रप्पा गौड़ा और ए. एन. आर. [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

ए.

पहले defendant-K.S द्वारा निष्पादित. दूसरे defendant-K.C के पक्ष में चिन्ने गौड़ा. लक्ष्मण शून्य और शून्य के रूप में।वादी के अनुसार, अनुसूचित संपत्ति संयुक्त परिवार की है जिसमें वह, पहला प्रतिवादी और एक के. सी. सुब्राय गौड़ा शामिल हैं।यह आगे तर्क दिया गया कि पहले प्रतिवादी को दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में अनुसूचित संपत्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह सह-भागीदार या उनके परिवार का सदस्य नहीं है।नतीजतन, यह तर्क दिया गया कि वादी की सहमति के बिना किया गया अलगाव अमान्य है और इस प्रकार उस पर बाध्यकारी नहीं है।

बी.

3. पहले प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दायर करके मुकदमे का विरोध किया।यह स्वीकार किया गया कि मुक़दमा अनुसूची संपत्ति एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है।यह तर्क दिया गया था कि दूसरे प्रतिवादी का पालन-पोषण पहले प्रतिवादी ने किया था और प्यार और स्नेह के कारण उसने दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में Ex.P-1 के तहत मुकदमे की संपत्ति का निपटारा किया।यह आगे तर्क दिया गया कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति पहले से ही उनके, वादी और दूसरे बेटे-सुब्बराय गौड़ा के बीच 23.03.1990 पर विभाजित थी।वादी, बिना किसी आपत्ति के अपना हिस्सा लेने के बाद मुकदमे को बनाए रखने का हकदार नहीं है।यह भी तर्क दिया गया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था।दूसरे प्रतिवादी ने पहले प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान को अपनाया था।

सी.

डी.

4. पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य का नेतृत्व किया और उसके दस्तावेज प्रस्तुत किए। विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर सामग्री की सराहना पर मुकदमे को खारिज कर दिया।पीड़ित महसूस करते हुए, वादी ने पहली अपील दायर की।अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख

पर संपूर्ण सामग्री पर पुनर्विचार करने और साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के बाद, विचारण न्यायालय के फैसले अपास्त करना कर दिया।यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रदर्शनी पी-1 में निपटान विलेख एक अमान्य दस्तावेज है।वादी को वाद संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा दिया गया था। अपीलीय न्यायालय के इस फैसले को उच्च न्यायालय में दूसरे प्रतिवादी के. सी. लक्ष्मण ने चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, विवादित आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

ई.

एफ.

जी.

5. अपीलार्थी/दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद संजय एम. नुली ने पहले तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि मुकदमा सीमितता से बाधित नहीं था।उनके अनुसार, सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 58 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है।दूसरा, यह तर्क दिया गया कि निपटान के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण पवित्र उद्देश्य के लिए था जो कानून में अनुमत है।

एच.

इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने में उचित नहीं था।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/वादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद वर्मा ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि पहले प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के उपहार के रूप में विद्वान गया अलगाव अमान्य था।इस तरह के अलगाव को चुनौती देने के लिए सीमा की अवधि सीमा अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 109 के तहत संपत्ति पर कब्जा करने की तारीख से बारह साल है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि मुकदमे को समय से प्रतिबंधित नहीं किया गया था।7. आग्रह की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।

बी.

सी.

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मुकदमे के पक्षकार हिंदू हैं और वे मितकाशर कानून द्वारा शासित हैं। वादी ने अपने पिता द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती दी है-पहला प्रतिवादी, Ex.P-1 के तहत, जो एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है, दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में।

डी.

8. सीमा अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 58 में किसी अन्य घोषणा को प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि का प्रावधान है।इस अनुच्छेद के तहत सीमा की अवधि उस तारीख से तीन साल है जब मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होता है।यह एक अवशिष्ट लेख है जो घोषणा के लिए उन सभी मुकदमों को नियंत्रित करता है जो विशेष रूप से सीमा अधिनियम के किसी अन्य अनुच्छेद द्वारा शासित नहीं हैं। अनुच्छेद 109 विशेष अनुच्छेद है जिसे लागू करने के लिए पुत्र द्वारा पिता के अलगाव को चुनौती दी जाती है और संपत्ति पैतृक है और पक्षकार मिताक्षर कानून द्वारा शासित होते हैं।आम तौर पर, जहां एक क़ानून में सामान्य प्रावधान के साथ-साथ विशिष्ट प्रावधान दोनों होते हैं, तो बाद वाले को प्रबल होना चाहिए। इसलिए, अनुच्छेद 58 तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है।अनुच्छेद 109 इस प्रकार हैः

ई.

एफ.

जी.

9. इस लेख में 'अलगाव' शब्द में 'उपहार' शामिल है।अनुच्छेद 109 को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्, (1) पक्षकारों को मिताक्षर द्वारा शासित हिंदू होना चाहिए; (2) मुकदमा बेटे के कहने पर पिता द्वारा अलगाव को दरकिनार करने के लिए है; ए

एच.

47

के. सी. लक्ष्मण बनाम के. सी. चंद्रप्पा गौड़ा और ए. एन. आर. [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

(3) संपत्ति पैतृक संपत्ति से संबंधित है; और (4) विदेशी ने पिता द्वारा अलग की गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सीमा की अवधि उस तारीख से बारह वर्ष है जब विदेशी संपत्ति का कब्जा लेता है।

10. तत्काल मामले में, Ex.P-1 को वादी के पिता द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में 02.03.1980 पर निष्पादित किया गया था और दूसरे प्रतिवादी ने 22.03.1980 पर संपत्ति का कब्जा ले लिया है जब Ex.P-1 पंजीकृत किया गया था।22.03.1980 से बारह वर्ष की अवधि की गणना करते हुए, वर्तमान मामले में मुकदमा दायर करने की सीमा 21.03.1992 पर समाप्त हो गई होगी।मुकदमा 11.10.1991 पर दायर किया गया था। इसलिए, मुकदमे को समय से प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

बी.

सी.

11. विचार के लिए दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पहले प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में Ex.P-1 के तहत की गई संपत्ति का हस्तांतरण एक पवित्र उद्देश्य के लिए था।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, दूसरे प्रतिवादी ने निचली विचारण न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान को अपनाया है जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि अनुसूचित संपत्ति एचयूएफ की एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी जिसमें वादी, उसके पिता दूसरे प्रतिवादी और उसके भाई के. सी. सुब्बाराय गौड़ा शामिल थे, जो तीनों एचयूएफ में सह-भागीदार थे। दूसरा प्रतिवादी सह-भागीदार या इस परिवार का सदस्य नहीं है।यह भी स्वीकार किया गया कि अनुसूची संपत्ति उसे पहले प्रतिवादी द्वारा निपटान/उपहार विलेख दिनांक 22.03.1980 (Ex.P-1) द्वारा उपहार में दी गई थी जो HUF का कर्ता था। वादी उक्त दस्तावेज़ का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था।वास्तव में, वादी ने वाद में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने उक्त विलेख के अनुसार दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में अनुसूचित संपत्ति को उपहार में देने के लिए सहमति नहीं दी थी।

डी.

ई.

एफ.

12. यह सामान्य कानून है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का कर्ता/प्रबंधक केवल तीन स्थितियों में संयुक्त परिवार की संपत्ति को अलग कर सकता है, अर्थात् (i) कानूनी आवश्यकता (ii) संपत्ति के लाभ के लिए और (iii) परिवार के सभी सह-भागीदारों की सहमति से।तत्काल मामले में, Ex.P-1 के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति का अलगाव सभी सह-भागीदारों की सहमति से नहीं था।यह तय किया गया कानून है कि जहां सभी सह-भागीदारों की सहमति से अलगाव नहीं किया जाता है, तो यह सह-भागीदारों के कहने पर अमान्य है जिनकी सहमति प्राप्त नहीं की गई है (देखें):तिम्मैया

जी.

और ओआरएस। बनाम निंगम्मा और अन्र। **1)**।इसलिए**,** का अलगाव

दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति शून्य थी

1 (2000) 7 एस. सी. सी. 409

एच.

48

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

वादी का उदाहरण जिसकी सहमति उक्त अलगाव से पहले सह-भागीदार के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी।

13. तत्काल मामले में, दूसरे प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि 22.03.1980 (Ex.P-1) दिनांकित निपटान विलेख, वास्तव में, एक उपहार विलेख है जिसे पहले प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में 'प्यार और स्नेह से' निष्पादित किया गया था और जिसके आधार पर दूसरे प्रतिवादी को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा दिया गया था।यह अच्छी तरह से तय है कि एक हिंदू पिता या एचयूएफ के किसी अन्य प्रबंध सदस्य के पास केवल 'पवित्र उद्देश्य' के लिए पैतृक संपत्ति का उपहार देने की शक्ति है और जिसे 'पवित्र उद्देश्य' शब्द से समझा जाता है वह धर्मार्थ और/या धार्मिक उद्देश्य के लिए एक उपहार है।इसलिए, 'प्रेम और स्नेह से' निष्पादित पैतृक संपत्ति के संबंध में उपहार का विलेख 'पवित्र उद्देश्य' शब्द के दायरे में नहीं आता है।यह अप्रासंगिक है यदि ऐसा उपहार या समझौता एक दाता द्वारा किया गया था, यानी पहला प्रतिवादी, एक दाता के पक्ष में जिसे दाता द्वारा बिना किसी संबंध के उठाया गया था, यानी दूसरा प्रतिवादी।तत्काल मामले में उपहार विलेख किसी धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं है।

बी.

सी.

डी.

14. कानून का यह सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है

गुरम्मा भर्तार चनबसप्पा देशमुख और ओआरएस बनाम।मल्लप्पा

चनबसप्पा और अन्र। 2, जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था:“इसलिए, यह स्वीकार किया जा सकता है कि "पवित्र उद्देश्य" अभिव्यक्ति कुछ परिस्थितियों में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए पर्याप्त व्यापक है, हालांकि बाद के उद्देश्यों का दायरा कहीं भी सटीक रूप से नहीं खींचा गया है।लेकिन इस मामले में हम जिस बात से चिंतित हैं, वह है संयुक्त परिवार की संपत्ति के बाहरी व्यक्ति को उपहार देने की प्रबंधक की शक्ति।उस शक्ति पर सीमाओं का दायरा

हिंदू कानून के प्रासंगिक ग्रंथों की व्याख्या करने वाले निर्णयों द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है।हिंदू कानून के निर्णयों ने पवित्र उद्देश्यों के लिए एक संयुक्त हिंदू परिवार के प्रबंधक द्वारा कुछ हद तक संपत्ति के लिए अजनबियों को उपहार देने की मंजूरी दी।लेकिन किसी अजनबी को इस तरह के उपहार को बनाए रखने के लिए अभी तक कोई अधिकार नहीं गया है, और न ही हमारे सामने किसी को रखा गया है, चाहे दाता को इस आधार पर देखा गया हो कि यह दान से बनाया गया था।यह याद रखना चाहिए कि प्रबंधक के पास संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति पर निपटान का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।हिंदू कानून उसे केवल सख्त सीमाओं के भीतर ऐसा करने की अनुमति देता है।हम इसका दायरा नहीं बढ़ा सकते हैं

ई.

एफ.

जी.

2 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 510 ए

एच.

49

के. सी. लक्ष्मण बनाम के. सी. चंद्रप्पा गौड़ा और ए. एन. आर. [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

व्यापक व्याख्या के आधार पर शक्ति हिंदू कानून में "पवित्र उद्देश्य" शब्दों को एक अलग संदर्भ में देती है।इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि परिवार के प्रबंधक द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति के किसी अजनबी को उपहार देना अमान्य है।”

15. अम्मथायी @पेरुमालक्कल और अन्न में। बनाम कुमारेसन

@ बालकृष्णन और ओआरएस। **3,** इस न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति को निम्नानुसार दोहराया है:

बी.

“10. जहाँ तक इस तर्क का सवाल है कि रंगस्वामी चेट्टियार ने जब अपनी पत्नी के पक्ष में यह उपहार दिया था तो वह केवल अपने पिता की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे और उनका यह कार्य उनके पिता द्वारा उन पर लगाए गए पवित्र दायित्व का विषय था, हमारी राय है कि पैतृक अचल संपत्ति का कोई भी उपहार इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है।यहां तक कि ससुर भी, यदि वह अपनी बहू की शादी के समय उपहार देना चाहते थे, तो अचल पैतृक संपत्ति के संबंध में ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं होंगे।इस प्रस्ताव के समर्थन में कोई मामला उद्धृत नहीं किया गया है कि एक ससुर अपनी बहू के पक्ष में उसकी शादी के समय पैतृक अचल संपत्ति का उपहार दे सकता है।हमारी राय में हिंदू कानून में इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन करने का कोई अधिकार

नहीं है।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, एक हिंदू पिता या किसी अन्य प्रबंध सदस्य के पास पवित्र उद्देश्यों के लिए पैतृक अचल संपत्ति की उचित सीमाओं के भीतर उपहार देने की शक्ति है, और हम यह नहीं देख सकते हैं कि विवाह के समय बहू द्वारा बहू को दिए गए उपहार को किसी भी तर्क से एक पवित्र उद्देश्य कैसे कहा जा सकता है, चाहे पिता द्वारा उपहार की स्थिति कुछ भी हो या शादी के समय बेटी के लिए उसका प्रतिनिधित्व कुछ भी हो।कोई भी समझ सकता है कि एक बेटी को ऐसा उपहार दिया जा रहा है जब वह अपने पिता के परिवार को छोड़ रही होती है।चूँकि बेटी से शादी करना पिता या उसके प्रतिनिधि का कर्तव्य है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा ऐसा उपहार एक पवित्र उद्देश्य के लिए हो सकता है और माना गया है।लेकिन हम शादी के समय अपनी बहू के पक्ष में ससुर द्वारा इस तरह के उपहार के लिए कोई पवित्र उद्देश्य नहीं देखते हैं।वास्तव में बहू विवाह के बाद अपने ससुर के परिवार की सदस्य बन जाती है और वह विवाह के बाद कुछ परिस्थितियों में पैतृक अचल संपत्ति पर अपने अधिकार में हकदार होगी, और इसलिए स्पष्ट रूप से उसका मामला एक ऐसी बेटी के मामले से बहुत अलग है जिसकी शादी हो रही है और जिससे उसकी शादी हो रही है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

3 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 569

एच.

जैसा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, पैतृक अचल संपत्ति का उचित उपहार दिया जा सकता है।"

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित निपटान विलेख/उपहार विलेख दिनांक 22.03.1980 (Ex.P-1) को पहले अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया था।

बी.

17. परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.